न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर

विमला देवी बनाम बलवीर सिंह

किस्म मुकदमा आवेदन धारा 212 RTA-II मु. नं. 23 वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा-पत्र
14/10/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट की बहस सुनी गयी है। आवेदन वाद के साथ पेश किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तामील होने पर पता चला उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है। शेष अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4 अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है।
	आवेदन इस प्रकार से ग्राम कोलीडा तहसील सीकर की भूमि ख.नं. 4, 5, 6 231/2 व 424 कुल किता 5 रकबा 7.86 हैक्टर पर नाथु सिंह के जीवनकाल प्रार्थीया एव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 काबिज काश्त रहे है। तथा मृत्यु के बाद उसके वैध हक अधिकारी है तथा नाथु सिंह की मृत्यु के बाद विरासत नामांतरकरण सं. 713 में गलत रूप से भाई बलवीर सिंह व सुरेन्द्र सिंह, डालीबेका नाथु सिंह ने अपने नाम से खुलवा लिया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार प्रार्थीया भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। प्रार्थीया का विरासत से 1/5 संयुक्त हक हिस्सा कानून मांगा है।
	अपने हक हिस्से की भूमि के लिये अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से बातचीत

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	करने पता चला है 1/4 हिस्सा बेच रहे हो अनजान लोगों के सौदेबाजि व नफती की बाते कर रहे थे। ऐसे कुकृत्यों से प्रार्थीया के बैध आम्बुविकु एवं अधिकारों पर भारी आघात होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। अनावश्यक विवाद को रोकने व न्यायहित मे अप्रार्थीगण को अग्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। अप्रार्थी सं० 1/4 व 2 की ओर से जवाब इस प्रकार से हो प्रार्थिया ने उक्त भूमी को कभी काश्त नही की प्रार्थिया का किसी भी प्रकार का हक अधिकार नही है तथा वंशावली गलत है वादग्रस्त भूमिया भी संयुक्त हिन्दु परिवार सहदायिक संपत्तियाँ नही रही है ना० सं० 713 विधि सम्मत है प्रार्थिया को किसी भी सुरत मे खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नही है। अतः आवेदन अं० धारा 212 खारीज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है। बहस के दौरान प्रार्थीया की वकील ने आवेदन के तथ्यो को दोहराया गया है तथा अप्रार्थी सं० 1/4 व 2 के अधिवक्ता ने भी जवाब के तथ्यो को ही दोहराया गया है। मुल रुप से वाद-विरासत

न्यायालय ______________________________

बनाम

किस्म मुकदमा ______________ मु. नं. ______________ वर्ष ______

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	के हक की भूमि का है। जिसमें प्रार्थिया के हक हिस्से की भूमि का विक्रय होने की सम्भावना से प्रथम दृष्टया प्रार्थिया के पक्ष मे बनता है। तथा प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति भी हो रही है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23-3-2015 को तादौराने दावा यथावत रखा जाता है। वादग्रस्त भूमियों पर मुकदमे के अन्तीम निर्णय होने तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।
	पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजवीज तकमील दाखील दफ्तर किया जावे।
	निर्णय आज दिनांक 14/10/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।
	सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
	सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर